राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया (आर0ए0एस0)
आर.सी.एम.एस 2016 / 00230
अपील संख्या 88 / 2016 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान :–

1–मोहनसिंह पुत्र स्व0 दीना जाति कछवाया ठाकुर निवासी ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

2–रामचन्द्र पुत्र स्व0 दीना जाति कछवाया ठाकुर निवासी ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

3–मोहनलाल पुत्र स्व0 दीना जाति कछवाया ठाकुर निवासी ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

4–लक्खो पुत्र स्व0 दीना जाति कछवाया ठाकुर निवासी ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

----------अपी0

बनाम

1–रामजीलाल पुत्र खूवीराम जाति कछवाया ठाकुर निवासी ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

2–गोविन्दसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कछवाया ठाकुर निवासी ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर।

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर।

------- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 9.10.2015 न्याया0 उपखण्ड अधिकारी पहाडी मु0न0 230 / 2014 उनवानी मोहनसिंह बनाम रामजीलाल

उपस्थिति :–वकील अपीलांट श्री के0के0सिंघल

निर्णय   दिनांक 14.9.2017

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 400 / 2.12, 401 / 0.19 किता 2 बीघा 11 बिस्वा हाल सैटिलमैन्ट में नवीन खसरा नम्बर 484 / 0.75 वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर मे स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी उभयपक्षकारान ने सम्मलित रूप से क्रय की थी। जिसमे उनका बटा हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता के हिस्से में 1/4 प्रत्यर्थी के हिस्से में 1/4 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के हिस्से में 1/2 कर दिया है। जबकि उनके द्वारा समभाग हिस्सा क्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को सिद्ध नही होना मानकर एवं नामान्तरकरण की अपील न करने के कारण खारिज किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण का 1/3 एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 एंव 2 का हिस्सा क्रमशः 1/3, 1/3 अंकित किया जावे।

बहस अपीलार्थी एंव दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उभय पक्षकारान ने विवादित आराजी समभाग मे क्रय की है जबकि रिकार्ड मे अपीलार्थीगण का हिस्सा 1/4 एवं प्रत्यर्थी संख्या 1का हिस्सा 1/4 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/2 अंकित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण का संयुक्त 1/3 प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/3 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 14.9.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

नोट:- आदेश दिनांक 30.10.17 के मुताबिक निर्णय में S.D.O पहाड़ी के स्थान पर S.D.O भरतपुर एंव ख.नं. 484/0.75 के स्थान पर 484/0.72 पढा जावे।

डिकरी व सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

व इजलास . राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज०)
मोहनसिंह बनाम रामजीलाल ([illegible])

अपील सं. 230 सन् 2014 व नाराजगी डिकरी अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाड़ी दिनांक 9 माह 10 2015

दावा बावत

यह अपील व तारीख 14 माह 9 सन् 2017 व हमारे श्री के० के० सिंघल एड० मिनजानिब अपीलान्ट व .... रेस्पोडेन्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण का संयुक्त 1/3 प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1/13 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 को 1/13 हिस्सा घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील का हस्य तफसील जेर तादादी मुबलिग ....) रुपये .... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का .... अदा करें।

बशरत मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14 माह 9 2017 को जारी किया गया।

मुहर हस्ताक्षर
ओहदा

जे० एम० मथुरिया
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रु०	पै०	रैस्पाडेन्ट	रु०	पै०
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालतनाम		
2. स्टाम्प वकालतनाम			2.		
3. इजराय हुक्मनाम			3. इजराय हुक्मनाम		
4. वकील फीस बावत			4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		